डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No.: ALD (W) EN/RTI/49-(Vol-IV)/5023 **Date: 01/10/2024**

एस. के. पाण्डा
जे.जी.एम / एडमिन (सी.पी.आई.ओ.)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
नई दिल्ली।

विषयः जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री संजय सरिन द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में। (आर.टी.आई. संख्या 886)।

सन्दर्भः (1) प्रधान कार्यालय का ई–मेल दिनांक 29.08.2024।
(2) प्रधान कार्यालय का अनुस्मारक ई–मेल दिनांक 03.09.2024, 06.09.2024, 13.09.2024 एवं 20.09.2024 ।
(3) इस कार्यालय का पत्रांक ALD (W) EN/RTI/49-(Vol-IV) दिनांक 26.09.2024।
(4) प्रधान कार्यालय का अनुस्मारक ई–मेल दिनांक 28.09.2024।

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध के पूर्व में सूचना दिनांक 24.09.2024 को नियमानुसार दी गयी थी। ततपश्चात् संदर्भ (4) के अनुपालन में आवेदक श्री संजय सरिन द्वारा वांछित सूचना पर बिन्दुवार सूचना / टिप्पणी निम्नलिखित हैः–

क्र.स	माँगी गयी सूचना का विवरण	सूचना / टिप्पणी
1	श्रीमान् डी.एफ.सी.सी.आई.एल., प्रयागराज (पश्चिम) में निविदा के माध्यम से जिन कर्मचारियों का चयन किया जा रहा है क्या वह कर्मचारी अपने पद पर कार्य करने योग्य योग्यता एवं अनुभव रखते हैं या नहीं।	हाँ।
2	डी.एफ.सी.सी.आई.एल., प्रयागराज (पश्चिम) में सक्षम अधिकारियों द्वारा बिना जाँच पड़ताल के अयोग्य व्यक्तियों का चयन किया जा रहा है, जिनके पास पद पर कार्य करने हेतु योग्यता एवं अनुभव है या नहीं।	कर्मचारियों का चयन अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।
3	डी.एफ.सी.सी.आई.एल., प्रयागराज (पश्चिम) में किसी भी पद पर कार्य करने हेतु निर्धारित योग्यता के साथ निविदा प्रदाता एजेंसी अभ्यर्थियों का चयन करती है या नहीं।	निविदा प्रदाता निर्धारित योग्यता के अनुसार ही अभ्यर्थियों को इस कार्यालय में उपलब्ध कराती है।
4	श्रीमान् जी, को अवगत कराना है कि डी.एफ.सी.सी. आई.एल., प्रयागराज (पश्चिम) में आउटसोर्सिंग एजेंसी वॉरियर्स सिक्योरिटी एण्ड सर्विसेज के माध्यम से जुलाई–2024 माह में स्टेनों के पद पर कार्य करने हेतु क्रमशः तीन अभ्यर्थियों सुश्री साक्षी मिश्रा, सुश्री निवेदिता खरे एवं विमलेश कुशवाहा के दस्तावेज भेजे गए थे। दस्तावेज में जो अनुभव प्रमाण पत्र और जिस संस्था द्वारा आशुलिपि का प्रमाण पत्र लगाया गया है, क्या वे प्रमाण पत्र सही है या नहीं।	अवगत कराना है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी वॉरियर्स सिक्योरिटी एण्ड सर्विसेज द्वारा तीनों में से किसी भी अभ्यर्थी को इस कार्यालय में स्टेनों पद पर कार्य करने हेतु नहीं लगाया गया है।
5	श्रीमान् जी अवगत कराना है कि क्या सेवा प्रदाता एजेंसी वॉरियर्स सिक्योरिटी एण्ड सर्विसेज ने उपरोक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जाँच की या उनका	उपरोक्त अभ्यर्थी स्टेनो पर कार्यरत नहीं है। एजेन्सी द्वारा आशुलिपि या टंकण से संबंधित दस्तावेजों की जांचँ या परिक्षण की

	आशुलिपि या टंकण परीक्षण किया या नहीं।	सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
6	महोदय निवेदन है कि उपरोक्त कर्मचारियों के पास किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग में स्टेनों के पद पर कार्य करने का ना तो अनुभव है और ना ही किसी संस्थान द्वारा आशुलिपि का अनुभव प्रमाण पत्र ही है।	कोई सूचना नहीं माँगी गयी है।
7	निवेदन यह है कि उपरोक्त पद पर कार्य करने हेतु अभ्यर्थियों को टंकण एवं आशुलिपिक का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है।	कोई सूचना नहीं माँगी गयी है।
8	उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गये अनुभव प्रमाण पत्र एवं टंकण एवं आशुलिपि संस्थान द्वारा निर्गत किए गये प्रमाण पत्रों की जाँच करने के पश्चात् योग्य कर्मचारियों का चयन करने की कृपा करें। जिससे सक्षम अधिकारियों द्वारा विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही नियोक्तियों पर विचार किया जा सके।	कोई सूचना नहीं माँगी गयी है।
9	महोदय, उपरोक्त कर्मचारी यदि किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग में पूर्व में कार्यरत् थे, तो सम्बन्धित विभाग द्वारा विगत् 03 माह का वेतन–पर्ची साक्ष्य के तौर पर प्रदान करने की कृपा करें।	आर.टी.आई की धारा 8(1)(j) के तहत सूचना देय नहीं है।
10	महोदय, उपरोक्त कर्मचारी यदि किसी संस्थान से आशुलिपिक का कोर्स किए हों तो सम्बन्धित कर्मचारी संस्थान द्वारा विगत् 03 माह की उपस्थिति की छायाप्रति देने की कृपा करें।	ऐसी कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

इस पत्र पर मुख्य महाप्रबंधक/प्रयागराज (पश्चिम) का अनुमोदन प्राप्त है।

.|01.10.24

(अजीत कुमार सिंह)
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
प्रयागराज (पश्चिम)